

Serial No.



**Financed by National Minority Development & Finance Corporation,  
Ministry of Minority Affairs, Govt. of India**

Scope Minar, Core-1, 1<sup>st</sup> Floor,  
Laxmi Nagar, Delhi -110092.

Toll Free No. - 14402 ([www.nmdfc.org](http://www.nmdfc.org))

Telephone No. 011-2244136/42/43/44/53/55

**राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर**

फोन एवं फैक्स नं. 0141- 2786051 Email- [rmfdcc\\_2000@yahoo.co.in](mailto:rmfdcc_2000@yahoo.co.in))

## व्यावसायिक-ऋण आवेदन

(राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से वित्तीय सहायता हेतु ऋण आवेदन पत्र)

आवेदक का फोटो

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

.....(जिला)

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता /पति का नाम .....
- फोन/ मोबाईल न0 .....
3. श्रेणी (पुरुष/महिला ) .....
4. जन्म तिथि व आयु (18 वर्ष से कम एवं 54 वर्ष से अधिक ना हो) .....
5. अल्पसंख्यक समुदाय का नाम .....
- (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन) .....
- (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न करें) .....
6. स्थाई पता .....
- (सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता .....
8. कारोबार का नाम जिसके लिये ऋण चाहता है .....
- (उसका प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र या अनुभव भी अंकित करें।) .....
9. परिवार की कुल वार्षिक आय :- .....
10. परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्र०स	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आयु	वार्षिक आय

11. योजना के कार्यस्थल का पता .....
12. कार्य स्थल का स्वामित्व .....
- (स्वयं का/किराये का/लीज पर/अन्य) .....
- (प्रमाण पत्र संलग्न करें) .....
13. योजना की कुल लागत (रूपयों में) .....
- (परियोजना का विवरण संलग्न करें) .....
- स्थायी पूंजी .....
- कार्य गील पूंजी .....

**कुल योग** .....

14. नियोजन क्षमता( कुल कार्मिक) .....
- (स्वयं एवं अन्य से करायेगे तो संख्या अंकित करें कितने व्यक्तियों को नियोजन मिलेगा)
15. प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था :

(अ)चाहे गये ऋण की रकम

..... स्थाई पूंजी

..... कार्यशील पूंजी

(ब) स्वयं की पूंजी

**कुल योग**

16. योजना क्रियान्वयन की सम्भावित अवधि .....
17. योजना से सम्भावित लाभ का विवरण .....
- (अ) कुल वार्षिक आय (रूपयों में) संभावित .....
- (ब) कुल वार्षिक व्यय (सामान की कीमत व खर्च) .....
- (स) लाभ .....
- (द) ऋण की किस्त चुकाने के पचात् स्वयं के लिये शेष रकम .....
18. बैंक का नाम एवं पता .....
19. खाते का प्रकार(बचत खाता/चालू खाता) .....
20. खाता संख्या .....
21. आई.एफ.एस.सी कोड .....
22. आधार कार्ड न0 .....
23. पैन कार्ड संख्या .....
24. भामाशाह कार्ड संख्या .....
25. परियोजना प्रतिवेदन .....

**व्यावसायिक-ऋण आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज**

1. अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण-पत्र
2. आय प्रमाण-पत्र/ बी.पी.एल. कार्ड प्रमाण-पत्र
3. भामा शाह कार्ड
4. आधार कार्ड
5. पैन कार्ड
6. क्रेडिट स्कोर प्रमाण-पत्र
7. कार्य के प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण-पत्र
8. निवास एवं कार्य स्थल स्वामित्व संबंधि प्रमाण-पत्र (स्वामित्व दस्तावेज/किराया नामा तथा व्यवसाय करने का मकान मालिक से सहमति-पत्र)

**ऋण स्वीकृति के बाद आवश्यक दस्तावेज**

9. सामयिक बन्धक पत्र।
10. जमानत नामा ( राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) आवेदन के साथ दस्तावेज की फोटो कॉपी।।
11. एडवांस चैक 6
12. ECS हेतु अधिकार पत्र
13. ऋण मंजूर होने पर आवेदक को 5% हिस्सा राशि
14. 2% सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा।
15. ऋण स्वीकृति के पश्चात लाभार्थी को स्वीकृत ऋण राशि के बराबर की जीवन बीमा पॉलीसी कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम असाइन्मेंट करानी होगी।